

(ख) क्या यह भी सच है कि बैंक प्राधिकारियों द्वारा उक्त चार कर्मचारियों के विरुद्ध बिना शर्त मुअत्तली के आदेश वापिस लेने के पश्चात् स्थिति सामान्य हो गई थी;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन मुअत्तिल किये गये कर्मचारियों को मुअत्तिल की गई अवधि का पूरा वेतन दिया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चड्हाणा) :

(क) जी हां।

(ख) स्टेट बैंक आफ इण्डिया ने मान्यता प्राप्त संघ से परामर्श करने के बाद स्थिति की समीक्षा की और चार कर्मचारियों की मुअत्तिली के आदेश वापस ले लिये। इसके बाद निकासी शृंहों में फिर सामान्य रूप से कार्य होने लगा।

(ग) और (घ). यह पता चला है कि इन चार कर्मचारियों को पूरा वेतन और भत्ते भारतीय स्टेट बैंक द्वारा दिये जायेंगे।

विभिन्न बैंकों के कर्मचारियों के वेतनमान

5261. श्री रामावतार शास्त्री : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्टेट बैंक आफ इण्डिया के कर्मचारियों के वेतनमानों और देश के राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों के वेतनमानों में अन्तर है;

(ख) क्या यह भी सच है कि पटना स्थित स्टेट बैंक आफ इण्डिया की बिहार शास्त्रा के कर्मचारियों के वेतनमान उपर्युक्त भाग (क) में बताये गये कर्मचारियों के वेतनमानों से भिन्न हैं;

(ग) यदि हां, तो इस भेद-भाव के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों को (जिसमें बिहार बैंक के कर्मचारी भी शामिल हैं) वही वेतनमान देने का है जो स्टेट बैंक आफ इण्डिया के कर्मचारियों को दिये जा रहे हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चड्हाणा) :

(क) भारतीय स्टेट बैंक के 'एवांड' कर्मचारियों के वेतनमानों की न्यूनतम और अधिकतम रकमें तथा उनकी अवधि वही है जो राष्ट्रीयकृत बैंकों के 'एवांड' कर्मचारियों की है। किन्तु भारतीय स्टेट बैंक के कर्मचारियों के वेतनमानों और राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों के वेतनमानों के वेतन-वृद्धि के स्वरूप में मासूली सा अन्तर है।

(ख) और (ग). भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अपने नियंत्रण में लिये घये भूतपूर्व बैंक आफ बिहार लिमिटेड के 'एवांड' कर्मचारियों की सेवा की शर्तें उस योजना के अन्तर्गत आती हैं जिसे केन्द्रीय सरकार ने उस बैंक का भारतीय स्टेट बैंक में विलय किये जाने के सम्बन्ध में 5 दिसम्बर, 1969 को मंजूर किया था। परन्तु उक्त योजना के उपबन्धों के अनुसार तथा मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ के साथ किये गये समझौते के आधार पर, पहली जनवरी 1970 से भूतपूर्व बैंक आफ बिहार लिमिटेड के कर्मचारियों पर वही वेतन मान लाया किये गये हैं जो भारतीय स्टेट बैंक के कर्मचारियों पर लाया होते हैं।

(घ) जी नहीं।

(ङ) सभी बैंकों के कर्मचारियों के वेतनमानों को भारतीय स्टेट बैंक के कर्मचारियों के वेतनमानों के समान लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। प्रत्येक बैंक को अपने कर्मचारियों के वेतनमान अपने अन्य बातों को ध्यान में रखकर निश्चारित करने होंगे।

बिहार विश्वविद्यालय के प्रध्यायकों तथा अध्यक्ष कर्मचारियों की हड्डताल

5262. श्री रामावतार शास्त्री : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है बिहार विश्वविद्यालय

से सम्बद्ध महाविद्यालय के अध्यापक तथा बिहार में पांचों विश्वविद्यालयों के अन्य कर्मचारी अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए प्रनिष्ठित काल के लिए हड़ताल पर थे;

(ख) यदि हाँ, तो यह हड़ताल कब तक चलती रही;

(ग) क्या अपनी मांगों के संबंध में उन्होंने कोई ज्ञापन दिये थे, यदि हाँ, तो उनका व्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) क्यूँ यह भी सच है कि तीस संसद सदस्यों ने इस हड़ताल के सम्बन्ध में उनको पत्र लिखा था, यदि हाँ, तो उस पत्र में क्या लिखा था और सरकार ने इस पर क्या कायंवाही की?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (आ० बी० के० प्रा० बी० रा०) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, बिहार के सम्बद्ध कालेजों के अध्यापकों तथा बिहार के सम्बद्ध एवं संस्थापित कालिजों के गैर-अध्यापन कर्मचारियों ने अपनी मांगों के संबंध में 19 नवम्बर, 1970 से प्रनिष्ठित काल के लिए हड़ताल शुरू की थी।

(ख) गैर-अध्यापन कर्मचारियों ने 14 दिसम्बर, 1970 से अपनी हड़ताल समाप्त कर दी है। अध्यापक अभी भी हड़ताल पर हैं।

(ग) बिहार के विश्वविद्यालय अध्यापकों के संघों के महासंघ द्वारा बिहार के शिक्षा मंत्री को तथा कठित रूप से प्रस्तुत मांगों के ज्ञापन-पत्र की प्रति मुझे प्राप्त हुई है। उसमें निम्नलिखित मांगों को दर्ज किया गया है:—

(i) सम्बद्ध तथा संस्थागत कालिजों के अध्यापकों तथा प्रिसिपलों के वेतन-मानों में समानता।

(ii) कालेजों के निदर्शकों के लिए रूपमें 250-575 के वेतनमात्र की स्वीकृति।

(iii) अध्यापकों को वेतन भुगतान की सुरक्षा।

(iv) केन्द्रीय सरकार की दरों पर महंगाई भत्ता।

(v) समानता के सिद्धांत के अनुरूप चिकित्सा, मकान किराया तथा अन्य भत्ते।

(vi) राज्यों के कालेजों की व्यवस्था सरकार द्वारा लिए जाने तक, कालेजों के प्रशासी निकायों के स्थान पर प्रवर्त्तन समितियों की स्थापना तथा उनका पुनर्गठन।

विश्वविद्यालय के निकायों में सम्बद्ध कालेजों के अध्यापकों का, तथा वरिष्ठ सभा में गैर-अध्यापन कर्मचारियों और विद्यार्थियों का अनुपातिक प्रतिनिधित्व।

मांगें बिहार सरकार के विचाराधीन हैं।

(घ) जी हाँ। यह मानते हुए कि मांगें राज्य सरकार से सम्बद्ध है, हस्ताक्षर कर्ताओं ने एक तरफ हड़ताल करने वाले अध्यापकों और गैर अध्यापन-कर्मचारियों तथा दूसरी तरफ बिहार सरकार के बीच झगड़ा तय करने के लिए मुझसे मध्यस्थता की मांग की थी। इस पत्र की प्राप्ति पर मैंने इस विषय पर बिहार के मुख्य मन्त्री को पत्र लिख दिया था।

विभिन्न मन्त्रालयों की सलाहकार समितियों की बैठक के लिए नियम

5263. श्री रामावतार शास्त्री : क्या संसद कार्य मंत्री यह बताने की कृष्ण करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार के विभिन्न मन्त्रालयों की सलाहकार समितियों की बैठकें करने के लिये कुछ निश्चित नियम हैं और यदि हाँ, तो तसम्बन्धी व्यौरा क्या है;